

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(5)नविवि / 2010पार्ट

जयपुर, दिनांक: 23 DEC 2020

आदेश

नगर नियोजन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश एतद्वारा प्रसारित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	पदस्थापन कार्यालय	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री नवनीत अग्रवाल सहायक नगर नियोजक	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर)।	14.04.1961	30.04.2021
2.	श्री श्रवण कुमार सहायक नगर नियोजक	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।	10.09.1961	30.09.2021
3.	श्री रमेश नारायण माथुर, सहायक अभियन्ता	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक (मुख्यालय)।	10.06.1961	30.06.2021

मुख्य नगर नियोजक एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त सभी अधिकारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(^{sd-}त्रिभुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर नियोजक विभाग, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय